संख्या-1304/चौवालिस-2-75/86

प्रेषक,

श्री करनैल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/
प्रबन्ध निदेशक तथा नोयडा/बीडा के मुख्य कार्यकारी ।

लखनऊ : दिनांक 29 फरवरी, 1988

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम
अनुभाग-2

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-200/चौवालिस-2-1986, दिनांक 16 फरवरी, 1987 के सम्बन्ध में कई निगमों द्वारा कुछ समस्याएं/प्रश्न उठाये गये हैं, अतः उक्त शासनादेश के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि :-

(1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को उसके सम्पूर्ण सेवा काल में 12 माह का चिकित्सावकाश देय होगा ।

(2) अधिकारी/कर्मचारी के अवकाश लेखे में उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष की गयी सेवा के लिए वर्ष में 10 दिन की दर से गणना कर चिकित्सावकाश संचित किया जायेगा ।

(3) दिनांक 16 फरवरी, 1987 से पूर्व अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपभोग किये गये चिकित्सावकाश को सम्पूर्ण चिकित्सावकाश में से घटा दिया जायेगा, तत्पश्चात् शेष दिनों का चिकित्सावकाश उपरिलिखित शासनादेश में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों

के अधीन स्वीकृत किया जायेगा। स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से नीचे उदाहरण भी दिये जा रहे हैं :-

उदाहरण-। यदि किसी कर्मचारी ने दिनांक 16.2.87 से पूर्व 90 दिनों का चिकित्सावकाश का उपभोग कर लिया है तो उसके खाते में उपर्युक्त दिनांक को (365-90=275 दिन) 275 दिनों का चिकित्सावकाश शेष माना जायेगा जो उसे उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार स्वीकृत किया जायेगा और तद्नुसार ही अवकाश लेखा तैयार होगा।

उदाहरण-2 यदि किसी कर्मचारी ने दिनांक 16.2.87 से पूर्व 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है तो उक्त शासनादेश के अनुसार उसके अवकाश लेखे में 50 दिन का चिकित्सावकाश जमा माना जायेगा। ऐसे संचित अवकाश में से यदि मांगे गये अवकाश की अवधि 10 दिनों से ऊपर है तो चिकित्साधिकारी की संस्तुति के अनुसार प्रबन्ध निदेशक उसे स्वीकृत करेगा और यदि अवकाश अवधि 10 दिन तक है तो कर्मचारी का सीधे कार्य देखने वाला अधिकारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर उसे स्वीकृत करने के लिए सक्षम होगा। 30 दिन से अधिक के अवकाश के मामलों का अनुमोदन निदेशक मण्डल से बाद में ले लिया जायेगा।

(4) यदि कर्मचारी के अवकाश लेखे में चिकित्सावकाश संचित नहीं है और अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उसे उक्त अवकाश की आवश्यकता है तो ऐसी दशा में भी अवकाश शासनादेश में, निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर दिया जायेगा। परन्तु अदेय अवकाश (Leave not due) को भविष्य में की गयी सेवा से संचित होने वाले अवकाश से समायोजित कर लिया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि उक्त कर्मचारी/अधिकारी अवकाश की समाप्ति पर सेवा में पुनः वापस आ जायेगा और वह पुनः निगम की सेवा के योग्य हो जायेगा तथा स्वीकृत अवकाश को उसकी शेष सेवा अवधि से समायोजित किया जा सकेगा।

2- उपर्युक्त शासनादेश समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों पर समान रूप से लागू माना जायेगा।

भवदीय,
करनैल सिंह,
विशेष सचिव।

संख्या-1304 (1)/44-2-75/86, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निगमों/उपक्रमों से संबंधित सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(2) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, लखनऊ।

आज्ञा से,
बृजभूषण चतुर्वेदी,
संयुक्त सचिव।